आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22.4.25	**उपायुक्त क न्यायालय, जामताड़ा।** R.M.A. Case No.-13/2023-24 माणिक राय **बनाम** परमेश्वर दास उर्फ परमेश्वर राय एवं 16 आना रैयत **आदेश** यह वाद अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-10/2018-19 में दिनांक–06.07.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर है। अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-10/2018-19 में दिनांक–06.07.2023 को पारित आदेश द्वारा परमेश्वर राय, पिता–रूपलाल राय, सा0–कोरीडीह–1, थाना–नारायणपुर, जिला–जामताड़ा बनाम माणिक राय, पिता– स्व0 हरि राय, सा0–जुरगुडीह, थाना–नारायणपुर, जिला–जामताड़ा द्वारा कोरीडीह–1 के दाग संख्या–713 कुल रकवा 1.60 एकड़ जमीन का सीमांकन हेतु दिये गये आवेदन के आलोक में सीमांकन की स्वीकृति दी गयी है। अपीलकर्त्ता माणिक राय के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा–कोरीडीह–1, थाना–नारायणपुर, जिला–जामताड़ा का निवासी है। गत सर्वे सटेलमेंट खतियान के अनुसार मौजा–कोरीडीह–1 के जमाबन्दी संख्या–25 के खतियान रैयत मथुरा राय के नाम पर अभिलेखित है। मथुरा राय की मृत्यु उसके पुत्र रूपालाल राय के जीवित रहते हो गई। मथुरा राय के मृत्यु के पश्चात् रूपलाल राय उसके सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हुए। रूपलाल राय के पत्नी ठुमकी घटवालिन को कोई भाई नहीं रहने के कारण वे ठुमकी घटवालिन के साथ ससुर के सम्पत्ति के देखभाल के लिए ग्राम–जुरगुडीह स्थानांतरित हो गये। रूपलाल राय एवं उसकी पत्नी ठुमकी घटवालिन के विवाह बंधन के कई वर्ष गुजरने के बाद भी उनके संतान नहीं हुए। इस कारण ठुमकी घटवालिन के रहते हुए रूपलाल राय द्वारा उसके बहन खिलोनी घरवालिन से 1953 ई0 को शादी कर लिया गया। शादी के समय खिलोनी घटवालिन अवयश्क थी। रूपलाल राय एवं खिलोनी घटवालिन के विवाह बंधन में 1978 ई0 में एक पुत्र का जन्म हुआ। तत्पश्चात् रूपलाल राय की मृत्यु हो गई। परमेश्वर दास नामक व्यक्ति द्वारा अपने को रूपलाल राय के दत्तक/पोष्य पुत्र का दावा किया जाना एवं Rev. Misc. Case No.-10/2018-19 में जमाबन्दी नं0–25 के प्रश्नगत जमीन का सीमांकन कर लिया जाना गैरकानूनी है। अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त वाद में आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया लेकिन अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा Rev. Misc. Case No.-10/2018-19 में दिनांक–25.04.2019 द्वारा वाद का कार्यवाही समाप्त कर दिया गया। उक्त दिनांक–25.04.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध परमेश्वर दास द्वारा उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा में R.M.R. Case No.-05/2019-20 के रूप में रीविजन दायर किया गया। उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा के R.M.R. Case No.-05/2019-20 में दिनांक–01.04.2022 को पारित आदेश द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा को स्थल जाँच के पश्चात् आदेश पारित करने हेतु पुनर्विचार के लिए वाद Remand किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा कोई स्थल जाँच नहीं कराया गया एवं दिनांक–06.07.2023 को अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-10/2018-19 में सीमांकन की स्वीकृति का आदेश पारित कर दिया गया। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा Rev. Misc. Case No.-10/2018-19 में दिनांक–06.07.2013 को पारित आदेश को पूर्णतः न्याय के विरूद्ध कहा गया। उत्तरवादी परमेश्वर दास उर्फ परमेश्वर राय के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा–कोरीडीह–1, थाना–नारायणपुर के जमाबन्दी रैयत है एवं वे मौजा–कोरीडीह–1 के गत सर्वे सेटलेमेंट खतियान रैयत मथुर राय के सम्पत्ति के उत्तराधिकारी है। मथुर राय की मृत्यु उसके एक मात्र पुत्र रूपलाल राय के जीवित रहते हुई। रूपलाल राय एवं पत्नी ठुमकी घटवालिन निःसंतान होने के कारण परमेश्वर राय को पोष्यपुत्र Registration Deed No.-126, दिनांक–09.12.1980 द्वारा लिया गया। रूपलाल राय एवं उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद श्राद्ध तथा मुखग्नि हिन्दु की रीति–रिवाज के अनुसार परमेश्वर राय द्वारा किया गया। उत्तरवादी परमेश्वर राय के पोष्यपुत्र होने के कारण प्रश्नगत जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है। प्रश्नगत जमीन में कोई विवाद नहीं है लेकिन माणिक राय,	

पिता–हरि राय, ग्राम–जुरगुडीह, थाना–जामताड़ा द्वारा Adoption deed के लिए Civil Judge, जामताड़ा के न्यायालय में दायर किया गया जो कि माणिक राय के विरूद्ध फैसला दिया गया। पनुः उक्त आदेश के विरूद्ध District Judge, Jamtara के न्यायालय में T.A. Case No.-06/2005 द्वारा अपील किया गया। लेकिन उनके न्यायालय में भी माणिक राय के अपील आवेदन खारिज कर दिया गया। पुनः माणिक राय द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में S.A. No.-232 में 2005 द्वारा अपील दायर किया गया। लेकिन उनके न्यायालय में भी दिनांक–09.02.2010 को पारित आदेश द्वारा अपील आवेदन रद्द कर दिया गया। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि माणिक राय द्वारा विभिन्न न्यायालय में परमेश्वर राय के पोष्यपुत्र के संबंधित डीड को निरस्त करने हेतु प्रार्थना किया गया लेकिन किसी भी न्यायालय द्वारा उक्त पोष्यपुत्र डीड खारिज नहीं किया गया।

उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अलोकन किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय, जामताड़ा में परमेश्वर राय के द्वारा मौजा–कोरीडीह–1, जमाबन्दी नं0–27 के खाता संख्या–25, दाग संख्या–713, रकवा–1.60 एकड़ के सीमांकन हेतु आवेदन दिनांक–19.07.2018 को दाखिल किया गया था, जो Rev. Misc. Case No.-10/2018-19 के रूप में दर्ज हुआ। अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय के उक्त Rev. Misc. Case No.-10/2018-19 में दिनांक–05.04.2019 के द्वारा परमेश्वर राय द्वारा दिये गये सीमांकन आवेदन को खारिज कर दिया गया। परमेश्वर राय द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय के Rev. Misc. Case No.-10/2018-19 में दिनांक–05.04.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध उपायुक्त के न्यायालय, जामताड़ा में R.M.R. Case No.-05/2019-20 दायर किया गया जिसमें तत्कालीन उपायुक्त द्वारा दिनांक–01.04.2022 को आदेश पारित किया गया जिसमें अंकित है, "अतः अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-10/2018-19 में दिनांक–05.04.2019 के पारित आदेश को खारिज करते हुए निदेश दिया जाता है कि मौजा–कोरीडीह–1, जमाबन्दी संख्या–25 के वर्णित दाग स्थल जाँच करने के पश्चात् उपर्युक्त व्यक्ति को सीमांकन एवं दखल कब्जा दिलाते हुए वाद Remand किया जाता है।" तत्कालीन उपायुक्त के उक्त पुनर्विचार आदेश के अनुपालन में अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा उनके Rev. Misc. Case No.-10/2018-19 में दिनांक–06.07.2023 को पारित आदेश द्वारा परमेश्वर राय, पिता–स्व0 रूपलाल राय, सा0–कोरीडीह–1, थाना–नारायणपुर, जिला–जामताड़ा बनाम माणिक राय, पिता– स्व0 हरि राय, सा0–जुरगुडीह, थाना–नारायणपुर, जिला–जामताड़ा द्वारा मौजा–कोरीडीह–1 के दाग संख्या–713, कुल–1.60 एकड़ जमीन का सीमांकन हेतु दिये गये आदेश के आलोक में सीमांकन की स्वीकृत दी गई है। माणिक राय द्वारा विभिन्न न्यायालय में परमेश्वर राय के पोष्यपुत्र के संबंधित डीड को निरस्त करने हेतु प्रार्थना किया गया लेकिन उक्त पोष्यपुत्र डीड खारिज करने संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-10/2018-19 में दिनांक–06.07.2023 को पारित आदेश में त्रुटि नहीं है।

अतः वाद अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के Rev. Misc. Case No.-10/2018-19 में दिनांक–06.07.2023 को पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
M.K. Singh
Adv
30/4/25

Seen
[illegible]
Adv
5/5/25

Digitally signed by localhost
Date: 2025.05.05 18:03:43 +05:30
Location: 192.168.30.106